UPMT010011342026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–473/2026

कोमल प्रसाद उर्फ कोमल प्रति उ.प्र. राज्य

आदेश

1. अभियुक्त **कोमल प्रसाद उर्फ कोमल पुत्र लालाराम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–23/2016 धारा–147, 148, 149, 307, 332, 336, 353, 427, 452, 504, 506 भा०दं०सं० व 7 सी.एल.ए. एक्ट व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम , थाना–महावन, जिला– मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 01.02.2016 को वादी थानाध्यक्ष देवकी नन्दन थाना महावन, मथुरा पर मौजूद थे। थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 22/16 से सम्बन्धित मृतक जीतू के सम्बन्ध में हाजी चुन्नू के नेतृत्व में जन समूह सुबह करीब 7.15 बजे घातक हथियारों से सुसज्जित होकर आया एवं घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तारी करने को लेकर प्रदर्शन करने लगे। वादी ने थाने पर उपस्थित अन्य पुलिस कर्मियों को साथ लेकर आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास किया तो हाजी न भगवान दास, प्रमोद, रोहताश आदि एवं 80–90 व्यक्ति व कुछ महिलाओं ने पुलिस बल को गाली–गलौज करते हुए कहा कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, जो करेंगे, सब हम ही करेंगे, इन पुलिस वालों को जान से मारन की नीयत से थाना परिसर में घुसकर मारपीट करन लगे एवं ईट–पत्थरों से पथराव करने लगे तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने लगे। घटना की सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम को दी गई। हमलावरों ने थाना परिसर में खड़े सरकारी व प्राइवेट वाहनो, सरकारी जनरेटर सैड, प्लास्टिक व लकड़ी की कुर्सी, मेज आदि को तोड़–फोड़ कर सरकारी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी। हमलावरों के इस कृत्य से आस–पास के दुकानदार अपनी दुकानों खुली छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने लगे। सड़क सरेआम चारों तरफ अफरा–तफरी मच गई एवं जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया। लोक व्यवस्था भंग हो गई तथा कार्य सरकारी पूर्णरूपेण बाधित हो गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अतः वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर दिनांक 01.02.2016 को उपरोक्त अपराध संख्या पर उपरोक्त धाराओं (धारा 504, 506 भा०दं०सं० को छोड़कर) प्रथम सूचना, अभियुक्तगण उपरोक्त हाजी चुन्नू व 36 अन्य तथा 80–90 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना महावन में

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.04.04 10:21:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 504, 506 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गई।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में ऐसी कोई चोट नहीं है, जिस पर धारा 307 भा.दं.सं. लागू होती हो। विरोध प्रदर्शन पुलिस स्टेशन के सामने गाँव की सड़क पर हुआ था, जहाँ आवेदक/अभियुक्त जैसे ग्रामीणों की उपस्थिति स्वाभाविक है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे रंजिशन पार्टीबंदी के आधा पर अभियुक्त बनाया गया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। न्यायहित में अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी ।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,

(4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

8. आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर थाना परिसर में घुसकर पुलिस बल पर हमला करना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना एवं सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप आक्षेपित है।

9. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, चिकित्सीय साक्ष्य धारा 307 भा.दं.सं. की पुष्टि नहीं करते, तथा वह केवल एक सामान्य ग्रामीण होने के कारण मौके पर उपस्थित था। अभियुक्त के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और उसे रंजिशवश नामजद किया गया है।

10. संलग्न पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2016 का है, जिसमें बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र विचारण न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अब कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है। घटना में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की संलिप्तता दर्शायी गयी है तथा अभियुक्त की भूमिका सामान्य रूप से भीड़ का हिस्सा होने तक सीमित बतायी गई है। इस स्तर पर अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका का स्पष्ट एवं ठोस विवरण अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होता है। साथ ही, चिकित्सीय साक्ष्य से भी ऐसी कोई गंभीर चोट प्रथम दृष्टया नहीं पायी जाती है। घटना में चुटैल बताए गए चुटैलों की कोई चोट गम्भीर या प्राणघातक प्रकृति की हो या आवेदक/अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध हो, ऐसा कोई तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/ अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन, दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,

3– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेग और उसके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

4– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 भा.दं.सं. के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 80,000/– रूपए की दो विश्वसनीय जमानतें व व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायालय में नियमानुसार अविलम्ब प्रस्तुत किये जाएँ।

दिनांकः–02.04.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191